न्यूज़ टुडे

सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाने से रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश जारी किए

- सुप्रीम कोर्ट ने **'शक्ति के पृथक्करण'** के सिद्धांत का हवाला देते हुए इन दिशा-निर्देशों को जारी किया था। इसके लिए कोर्ट ने **अनुच्छेद 142 के तहत** असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है।
  - हालांकि, ये दिशा-निर्देश और संरक्षण सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण या अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होते हैं।
- **निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाने के संबंध में चिंताएं**
  - केवल आरोप के आधार पर राज्य द्वारा किसी के घर को ढहाना या ध्वस्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due process of law) और विधि के शासन के खिलाफ है।
  - साथ ही, यह मौलिक अधिकार जैसे **अनुच्छेद 21 के तहत 'आश्रय का अधिकार' का उल्लंघन भी है।**
- **सुप्रीम कोर्ट के मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर:**
  - **पूर्व सूचना:** घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा घर को ढहाने की सूचना दी जानी चाहिए। इस डाक में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, संबंधित उल्लंघनों का विवरण आदि शामिल होना चाहिए।
    - अनधिकृत निर्माण के मामले में, निवासियों को अनधिकृत निर्माण हटाने या रहने के लिए कोई अन्य स्थान खोजने हेतु **15 दिन का नोटिस** दिया जाना चाहिए।
  - निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अभियुक्त को **व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना होगा।**
  - न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के लिए **अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।**
  - **वीडियोग्राफी और उचित रिपोर्ट:** घर को ढहाने या ध्वस्त करने की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। इसकी वैधता को चुनौती दिए जाने की स्थिति में इसे सबूत के तौर पर पेश करना होगा। वास्तविक विध्वंस की **रिपोर्ट भी नगर आयुक्त** के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

शक्ति का पृथक्करण (Separation of Power)

- **फ्रांसीसी विधिवेत्ता मांटेस्क्यू** के अनुसार, 'शक्ति के पृथक्करण' का अर्थ है कि **"सरकार के तीनों अंग** अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को **स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और इन अंगों की शक्तियों में कोई परस्पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए"।**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों का सख्त पृथक्करण लागू है।** हालांकि, भारत में यह उतना सख्त नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका से अलग होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने मानव तस्करी से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लागू नहीं किया

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार **प्रज्वला बनाम भारत संघ (2015) मामले** में केंद्र सरकार द्वारा मानव तस्करी (विशेष रूप से यौन तस्करी) पर अंकुश लगाने के लिए की गई प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की गई हैं।
- **केंद्र सरकार द्वारा की गई मुख्य प्रतिबद्धताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **संगठित अपराध जांच एजेंसी (Organised Crime Investigative Agency: OCIA)** की स्थापना करना;
  - मानव तस्करी के मामले से निपटने के लिए एक **व्यापक कानून तैयार करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक समिति का गठन** करेगा।
    - इस कानून में **तस्करी को रोकना, पीड़ितों का बचाव एवं संरक्षण करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था** को शामिल किया जाना था।
- **सुप्रीम कोर्ट की अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां**
  - **विधायी निष्क्रियता:** मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में यह समाप्त (lapsed) हो गया।
  - **NIA अधिनियम, 2008 में 2019 में किए गए संशोधनों की सीमाएं:** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम में 2019 में किए गए संशोधनों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मानव तस्करी के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया है।
    - न्यायालय ने कहा कि NIA अपराधियों पर मुकदमा चला सकती है, लेकिन पीड़ितों की सुरक्षा या पुनर्वास पर ध्यान नहीं देती है।
- **भारत में मानव तस्करी की स्थिति**
  - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2018 से 2022 तक 10 हजार से अधिक मानव तस्करी के मामले सामने आए हैं।**
    - मानव तस्करी के तहत सर्वाधिक यौन तस्करी होती है।
  - 2018 तक के आकड़ों के अनुसार इसे **हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के बाद संगठित अपराध के लिए लाभ का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत** माना गया है।

भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **कानूनी: अनैतिक दुर्व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (ITPA), 1956** बनाया गया है।
- **संवैधानिक:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 23** मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है।
- **अन्य:**
  - **गृह मंत्रालय** के तहत तस्करी-रोधी इकाई कानून प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों में सुधार हेतु राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करती है।
  - भारत ने मानव तस्करी से निपटने के लिए **बांग्लादेश जैसे देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए हैं।
  - **महिलाओं और बच्चों** की तस्करी को रोकने के लिए UNCTOC **(अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय) प्रोटोकॉल की** अभीपुष्टि की है।
  - **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** में वेश्यावृत्ति के लिए मानव दुर्व्यापार सहित मानव तस्करी को रोकने हेतु सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।

'स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2024- लॉस्ट आइस, ग्लोबल डैमेज' रिपोर्ट जारी की गई

- यह रिपोर्ट **इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव (ICCI)** द्वारा समन्वित है।
- **क्रायोस्फीयर (हिमांक-मंडल) के बारे में**
  - क्रायोस्फीयर **पृथ्वी के जमे हुए हिस्से** को कहते हैं। इन हिस्सों में **महाद्वीपीय बर्फ की चादरें, आइस कैप, ग्लेशियर, बर्फ, पानी में पाई जाने वाली हिम, जमी हुई नदियां व झीलें, पर्माफ्रॉस्ट** आदि शामिल हैं। **वर्ष में अधिकांश समय के लिए यहां का तापमान 0°C से नीचे** होता है। उदाहरण के लिए **ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंदू कुश हिमालय** आदि।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - **बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना:** ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में इस समय हर घंटे 30 मिलियन टन बर्फ पिघल रही है। इसके अलावा, **उत्तरी ग्रीनलैंड में 1978 से अब तक आइस सेल्फ के कुल आयतन का 35% लुप्त** हो चुका है।
  - **समुद्र जलस्तर में वृद्धि:** वैश्विक समुद्र-जलस्तर में वृद्धि की दर **पिछले 30 वर्षों में दोगुनी** हो गई है। वर्तमान रुझानों के अनुसार **2050 तक यह बढ़कर 6.5 मिमी प्रति वर्ष** हो जाएगी।
  - पिघलते ग्लेशियर: वर्तमान में स्लोवेनिया के बाद वेनेजुएला में भी लगभग सभी ग्लेशियर लुप्त हो चुके हैं।
- **क्रायोस्फीयर का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव**
  - **अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)** के कमजोर होने और **अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (ACC)** के धीमे होने से वैश्विक महासागरीय परिसंचरण प्रभावित हो रहा है।
  - **पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने में वृद्धि से** स्थानीय क्षति हो सकती है और इनका वैश्विक पुनःपूर्ति चक्र का संतुलन बिगड़ सकता है।
    - **पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने** का अर्थ है पर्माफ्रॉस्ट के अंदर की बर्फ का पिघलना तथा पीछे पानी और मिट्टी का रह जाना।
  - समुद्री बर्फ की **परावर्तक क्षमता कम** हो जाती है। इससे **दोनों ध्रुवों पर अधिक गर्मी पड़ने लगती है तथा CO_2 उत्सर्जन एवं ओजोन परत का क्षरण बढ़ जाता है।**
  - **हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood: GLOF)** से विनाशकारी बाढ़ पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है।

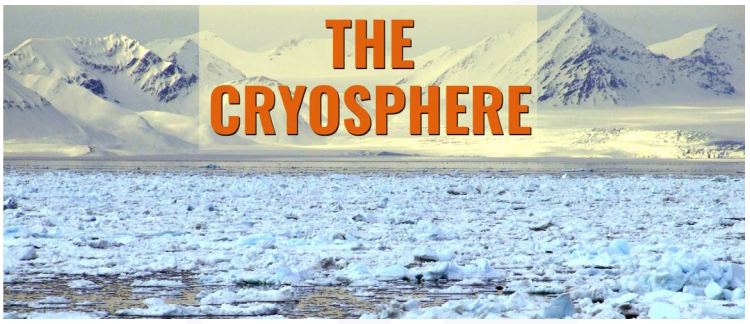

क्रायोस्फीयर के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने "2025 से 2034 तक को क्रायोस्फेरिक साइंस के लिए कार्रवाई के दशक" के रूप में मंजूरी दी है।
- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन** ने क्रायोस्फीयर के लिए **चार उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षाओं** को अपनाया है।
- भारत ने ग्लेशियरों सहित हिमालयी पारिस्थितिकी-तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए **नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम (NMSHE)** शुरू किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने "नगरपालिका वित्त पर रिपोर्ट" जारी की

- RBI की इस रिपोर्ट में **नगर निगमों (MCs) के बजटीय डेटा का विश्लेषण** किया गया है। साथ ही, रिपोर्ट में इन **निकायों के लिए अवसरों और चुनौतियों की पहचान** भी की गई है। इसके अलावा, उनकी **वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के उपाय भी** सुझाए गए हैं।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - **कम राजस्व संग्रह:** 2023-24 में देश के **नगर निगमों का कुल राजस्व संग्रह** देश के **सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6%** था। इसकी तुलना में **केंद्र सरकार का राजस्व संग्रह 9.2%** और **राज्य सरकारों का 14.6%** था।
  - **केंद्र और संबंधित राज्य से वित्त-पोषण पर अधिक निर्भरता:** नगर निगम केंद्र व संबंधित राज्य से फंड ट्रांसफर पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। 2022-23 में केंद्र एवं राज्य सरकारों से इन्हें मिलने वाले **अनुदान में क्रमशः 24.9% तथा 20.4% की वृद्धि** दर्ज की गई थी।
  - **नगरपालिका के उधार में वृद्धि:** यह 2019-20 के 2,886 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 13,364 करोड़ हो गया।
  - **नगरपालिका बॉण्ड:** इनका कुल मूल्य 4,204 करोड़ रुपये है। यह मूल्य **कॉर्पोरेट बॉण्ड का 0.09%** है। अधिकांश **नगरपालिका बॉण्ड धारक** निजी निवेशक और संस्थाएं हैं।
- **नगरपालिका वित्त की चुनौतियां:**
  - विकसित देशों की नगरपालिकाओं की तुलना में इनका **राजस्व कम** है।
  - भारत में नगरपालिका बॉण्ड **बाजार परिपक्व नहीं** है।
  - आर्थिक स्थिति में बदलाव के साथ **इनकी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं** हुआ है।
- **नगरपालिका वित्त में सुधार हेतु मुख्य सिफारिशें**
  - **राजस्व के स्रोतों को बढ़ाना:** GIS मैपिंग के उपयोग द्वारा **संपत्ति कर में सुधार** किया जाना चाहिए, **यूजर्स शुल्क को कम** करना चाहिए आदि।
  - **राज्य सरकारों से फंड ट्रांसफर:** राज्य वित्त आयोगों द्वारा नगरपालिकाओं को **समय पर और निर्धारित फंड ट्रांसफर करने की सिफारिश** करनी चाहिए।
  - **संसाधनों के उपयोग में दक्षता बढ़ाना:** डिजिटलीकरण, शहरी परिवहन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर दक्षता बढ़ाई जा सकती है।
  - **वित्त-पोषण के नए तरीकों को खोजना:** लघु आकार के नगर निगमों को **नगर निगम बॉण्ड, ग्रीन बॉण्ड आदि** जारी करने की संभावना तलाशनी चाहिए।
  - **वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा:** 'राष्ट्रीय नगर-निगम लेखा मैनुअल' जैसी प्रणालियों को अपनाना चाहिए।

शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व-स्रोत

- **स्वयं के स्रोत**
  - **कर राजस्व:** संपत्ति कर, जल उपयोग कर, आदि।
  - **गैर-कर राजस्व:** यूजर्स शुल्क, विकास शुल्क आदि।
  - **अन्य प्राप्तियां:** पट्टा (Lease) देने से प्राप्त किराया, अपशिष्ट की बिक्री, आदि।
- **सौंपे गए (साझा) राजस्व:** मनोरंजन कर, व्यावसायिक कर आदि।
  - वैसे **मनोरंजन कर** GST में शामिल कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित मनोरंजन कर को GST से बाहर रखा गया है।
- **सहायता अनुदान:** केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर हस्तांतरण; स्वच्छ भारत मिशन व अमृत जैसे कार्यक्रमों के तहत अनुदान आदि।
- **उधार:** संबंधित राज्य, केंद्र, बैंक आदि से ऋण ले सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने "घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs)" की 2024 की सूची जारी की

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक को RBI की 2024 की D-SIBs की सूची में बरकरार रखा गया है।
- D-SIBs के बारे में
  - D-SIBs भारत की आर्थिक प्रणाली का संचालन जारी रखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण बैंक हैं।
  - D-SIBs का दर्जा अग्रलिखित आधारों पर दिया जाता है- उनका आकार, उनकी अंतर्संबंधता, उनका विकल्प या वित्तीय संस्थान अवसंरचना आसानी से उपलब्ध न होना और जटिलता।
  - D-SIBs परस्पर संबद्ध संस्थाएं होती हैं। इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है। इस कारण इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता।
  - यदि D-SIBs सूची का कोई बैंक विफल होता है तो बैंकिंग प्रणाली और समग्र अर्थव्यवस्था की आवश्यक सेवाओं में बड़ा व्यवधान पैदा हो सकता है।
- D-SIBs सूची की घोषणा के प्रावधान
  - यह सूची RBI द्वारा 2014 में जारी D-SIB फ्रेमवर्क पर आधारित है।
    - यह फ्रेमवर्क बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) के फ्रेमवर्क पर आधारित है।
    - D-SIBs के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए, किसी बैंक के पास राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से अधिक की परिसंपत्ति होनी चाहिए।
  - बैंकों को उनकी D-SIB की श्रेणी के आधार पर उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) का कुछ हिस्सा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) के रूप में रखना होता है। इस आधार पर उन्हें 5 बकेट्स में वर्गीकृत किया जाता है।
    - बकेट 1 श्रेणी के बैंकों को सबसे कम CET-1 और बकेट 5 श्रेणी के बैंकों को सबसे अधिक CET-1 बनाए रखना होता है।
  - इसी प्रकार, यदि किसी विदेशी बैंक की भारत में शाखा है और यदि वह प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंक (G-SIB) है, तो उसे G-SIB से संबंधित नियमों के अनुरूप भारत में अतिरिक्त CET-1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होगा।
    - G-SIBs की सूची फाइनेंसियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) जारी करता है।

मुख्य शब्दावलियां

- जोखिम भारित परिसंपत्तियां (Risk Weighted Assets: RWAs): इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बैंक को अपने ऋण वितरण और अन्य परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिम के आधार पर अपने पास निर्धारित न्यूनतम पूंजी सुरक्षित रखनी चाहिए।
  - इसकी गणना बैंक की अलग-अलग परिसंपत्तियों के जोखिम स्तर के आधार पर की जाती है।
- कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET 1): यह टियर 1 पूंजी का एक घटक है। इसमें मुख्य रूप से बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा रखे गए कॉमन स्टॉक शामिल होते हैं।
  - यह उच्चतम गुणवत्ता वाली विनियामक पूंजी होती है। यह वास्तव में किसी बैंक की मूल पूंजी यानी कोर कैपिटल है। किसी नुकसान की स्थिति में इस पूंजी को तुरंत नकदी में बदला जा सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने 'बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी' (B-E सांख्यिकी) के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया

- ज्ञातव्य है कि 1924 में, सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कणों या फोटॉनों के व्यवहार को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था।
  - अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनके सहयोग से अंततः B–E सांख्यिकी परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ था।
- B–E सांख्यिकी के बारे में
  - B–E सांख्यिकी यह वर्णन करती है कि गैर-परस्पर क्रियाशील और अविभाज्य कणों का एक समूह थर्मोडायनामिक संतुलन में उपलब्ध विविध पृथक ऊर्जा अवस्थाओं को किस प्रकार ग्रहण कर सकता है।
    - सरल शब्दों में यह बताता है कि कण स्वयं को उपलब्ध ऊर्जा अवस्थाओं में कैसे वितरित करते हैं।
  - वे कण जो B–E सांख्यिकी सिद्धांत का पालन करते हैं, उन्हें बोसॉन कहा जाता है। इनका नाम एस. एन. बोस के नाम पर रखा गया है।
    - बोसॉन वे मौलिक कण हैं, जिनके स्पिन के पूर्णांक मान (0, 1, 2, आदि) होते हैं। उदाहरण के लिए फोटॉन, ग्लूऑन, आदि।
- B–E सांख्यिकी की प्रासंगिकता/ महत्त्व
  - 20वीं सदी में पहली क्वांटम क्रांति संभव हुई थी। इससे लेजर, ट्रांजिस्टर, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग और अर्द्ध चालक जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद मिली थी।
    - दूसरी क्वांटम क्रांति को क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास द्वारा परिभाषित किया जाता है।
  - इससे पदार्थ की पांचवीं अवस्था अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (BEC) की खोज संभव हुई।
    - BEC पदार्थ की वह अवस्था है, जिसका निर्माण तब होता है जब कणों को परम शून्य तापमान (-273.15 डिग्री सेल्सियस/ 0 केल्विन) के करीब ठंडा किया जाता है।

अन्य सुर्ख़ियां

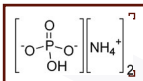

डायमोनियम फास्फेट

- हाल ही में, हरियाणा और पंजाब के किसानों को डायमोनियम फास्फेट उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ा।
- डायमोनियम फास्फेट (DAP) के बारे में
  - यह दो सामान्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स (फास्फेट और नाइट्रोजन) की उच्च मात्रा से बनाया जाता है। ये दोनों पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं।
  - यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है क्योंकि यह अत्यधिक घुलनशील है और मृदा में जल्दी घुल जाता है।
- DAP का वितरण
  - इसे 1992 से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। इस तरह अब DAP उर्वरकों की उपलब्धता मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा तय होती है।
  - केंद्र सरकार राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी करती है। राज्य सरकारें इस उर्वरक के उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय एवं राज्य के भीतर वितरण के लिए जिम्मेदार हैं।

बोरिंग बिलियन

- हाल ही में, कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि 'बोरिंग बिलियन' वास्तव में पृथ्वी के इतिहास का सबसे नीरस युग नहीं था।
- बोरिंग बिलियन के बारे में
  - काल: पृथ्वी के इतिहास में 1.8 बिलियन से 800 मिलियन वर्ष पहले के युग को 'बोरिंग बिलियन' कहा जाता है।
  - विशेषताएं:
    - यह भू-जैविक गतिविधियों के ठहराव का युग था, क्योंकि जटिल जीवन के विकास में देरी देखी गई थी। इसकी मुख्य वजह वायुमंडल में ऑक्सीजन का निम्न स्तर था।
    - इस युग की अधिकांश जीवित प्रजातियां सामान्य और एकल-कोशिकीय थीं। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम थीं।
  - महत्त्व: ये जीव कम ऑक्सीजन और ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों को झेलने; बिना पोषण के लंबी अवधि तक जीवित रहने; जलवायु, वायुमंडलीय और टेक्टोनिक स्थिरता में रहने जैसी विशेषताओं को दर्शाते थे।

उमंग (UMANG)

- हाल ही में उमंग/ UMANG ऐप ने अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाई। इसकी सेवाओं से 70 मिलियन उपयोगकर्ताओं को लाभ हुआ है।
- **उमंग के बारे में**
  - उमंग/UMANG से आशय है; यूनीफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस।
  - इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य भारत में मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।
  - यह सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों की अखिल भारतीय स्तर पर ई-गवर्नेंस सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
    - इन सेवाओं में पासपोर्ट सेवाएं, पेंशन सेवाएं, मौसम पूर्वानुमान, आदि शामिल हैं।

जल नियम, 2024

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (जांच करने और जुर्माना लगाने का तरीका) नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं।
- **जल नियम, 2024 के बारे में**
  - हाल ही में, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन के द्वारा कई उल्लंघनों को अपराध मुक्त कर दिया गया है। इसके बदले जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इन्हीं संशोधनों को देखते हुए नए नियम जारी किए गए हैं।
  - ये नियम केंद्र सरकार को उल्लंघनों की पहचान करने और दंड निर्धारित करने के लिए 'अधिकृत अधिकारी' नियुक्त करने की भी अनुमति देते हैं।
  - **महत्त्व:**
    - ये नियम न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करेंगे;
    - ये वित्तीय दंड के माध्यम से नियमों के अनुपालन को प्रोत्साहित करेंगे आदि।

कोचिंग इंडस्ट्री के लिए दिशा-निर्देश

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कोचिंग क्षेत्रक में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **प्रमुख दिशा-निर्देश**
  - यह स्पष्ट रूप से कोचिंग सेंटरों को झूठे दावे करने, गुणवत्ता के बारे में भ्रामक प्रस्तुतीकरण करने तथा झूठी तात्कालिकता (जैसे सीमित सीटें या भरी मांग आदि) उत्पन्न करने से रोकता है।
  - इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन माना जाएगा।
- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में**
  - इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है।

सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास

- **गरुड़ शक्ति**
  - यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास है।
  - उद्देश्य: आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त सैन्य अभियान चलाने हेतु दोनों पक्षों की सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाना।
- **पूर्वी प्रहार**
  - यह भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित अधिक गहन लि-सेवा अभ्यास है।
  - उद्देश्य: दुर्गम पहाड़ी इलाकों में एकीकृत संयुक्त अभियान चलाने में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना की युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करना।

मीलवर्म लार्वा

- हाल ही में, केन्या में मीलवर्म लार्वा की खोज की गई।
- **मीलवर्म लार्वा के बारे में**
  - यह प्लास्टिक (पॉलीस्टाइरीन) खाने वाला कीट है तथा इसकी आंत में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो प्लास्टिक के विघटन में मदद करते हैं।
  - यह लार्वा अधिकतर कुक्कुट पालन फार्मों में पाया जाता है। ये फार्म गर्म होते हैं और इन जीवों को निरंतर भोजन की आपूर्ति करते रहते हैं।
  - यह पहली अफ्रीकी-मूल की ऐसी कीट प्रजाति है, जिसमें प्लास्टिक को नष्ट करने की क्षमता है। हालांकि, यह अफ्रीका के बाहर भी पाई जा सकती है।
- **पॉलीस्टाइरीन (स्टायरोफोम) के बारे में**
  - यह आमतौर पर भोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक उत्पादों आदि के लिए पैकेजिंग में इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री है।
  - पॉलीस्टाइरीन से बने उत्पाद काफी मजबूत होते हैं। इसके कारण इसे रासायनिक एवं तापीय प्रोसेस के पारंपरिक तरीकों से पुनर्चक्रित करना कठिन और महंगा होता है। साथ ही, इस विधि से प्लास्टिक के निपटान से प्रदूषण भी उत्पन्न होता है।

स्वास्तिक (SVASTIK) पहल

- पारंपरिक ज्ञान के संचार एवं प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान SVASTIK पहल के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।
- **स्वास्तिक/ SVASTIK (Scientifically Validated Societal Traditional Knowledge/ वैज्ञानिक रूप से मान्य सामाजिक पारंपरिक ज्ञान) के बारे में**
  - यह CSIR-NIScPR (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान) द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय पहल है।
  - उद्देश्य: पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करना, परंपराओं की वैज्ञानिक मान्यता को बढ़ावा देना और उनके वैज्ञानिक मूल्य में विश्वास पैदा करना।
  - महत्त्व
    - वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान को 17 भाषाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करती है।
    - आधुनिक विज्ञान के माध्यम से अंतर्विषयक अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान की तत्काल मान्यता को सुविधाजनक बनाती है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

फिलीपींस (राजधानी: मनीला)

- भारत और फिलीपींस ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक लोगो का अनावरण किया।
- **भौगोलिक सीमाएं**
  - अवस्थिति: यह दक्षिण-पूर्वी एशिया में दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक द्वीप-समूह है।
  - इसके चारों तरफ फैले जल निकाय: इसके पूर्व में प्रशांत महासागर; दक्षिण में सेलेब्स सागर; दक्षिण-पश्चिम में सुलु सागर; तथा पश्चिम व उत्तर में दक्षिण चीन सागर स्थित है। बाशी चैनल इसके उत्तर में स्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएं**
  - तीन प्रमुख द्वीप समूह: यह तीन द्वीप समूहों में विभाजित है: लूज़ोन (फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप), विसायस और मिंडानाओ।
  - प्रमुख ज्वालामुखी: माउंट पिनाटुबो, आदि।
  - सबसे ऊँचा स्थान: माउंट ऐपो।
  - प्रमुख नदियां: कागायन, मिंडानाओ, आदि।

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची